कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा / माध्य / शाला दर्पण / 60304 / 2016–17 / 241 दिनांक :– 27.10.16

समस्त संस्था प्रधान,
रामावि / राउमावि
राजस्थान

अतिआवश्यक

विषय :– शाला दर्पण कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र (प्रपत्र 10) के प्रमाणीकरण बाबत।

विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि शाला दर्पण के प्रपत्र–10 में प्रविष्ट विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का विस्तृत विवरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और आधिकारिक रूप से संस्थापन कार्य हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सूचना है। भविष्य में समस्त संस्थापन सम्बन्धित कार्यों के लिए उक्त डेटा का ही उपयोग किया जायेगा। जिसका सत्यापित होना नितान्त आवश्यक है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के प्रपत्र–10 का प्रिन्ट लें एवं उसे सम्बन्धित कार्मिक से सत्यापित करवा लें, साथ ही कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड से स्वयं भी प्रमाणित कर इसे सुरक्षित रखें। जांच उपरान्त संशोधन की स्थिति में शाला दर्पण पर तत्काल अपडेट करें एवं सत्यापन की रिपोर्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।

सत्यापन की प्रक्रिया को गम्भीरता से लेवें एवं आगामी 07 (सात) दिवस में सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के विधि सम्बन्धी विवाद के लिए संस्थाप्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगें।

(बी.एल. स्वर्णकार)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा / माध्य / शाला दर्पण / 60304 / 2016–17 / 241 दिनांक :– 27.10.2016

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक (मा0शि0) राजस्थान।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) प्रथम / द्वितीय राजस्थान।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
7. सिस्टम ऍनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

उपनिदेशक
(माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान बीकानेर

Scanned by CamScanner